

न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर

पीठासीन अधिकारी

पूजा पार्थ
आई.ए.एस.

सायल
राजस्थान सरकार जरिये, प्रदीप परिहार
प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल

बनाम

गैरसायल
भवरसिंह पुत्र गिरधारी सिंह जाति रावणा राजपूत
निवासी राजपुरा सुंधामाता जसवंतपुरा जालोर
मालिक होटल आसोपालव एंड रेस्टोरेट सुंधामाता
जसवंतपुरा

प्रकरण संख्या

11/2023

इस्तगासा अर्न्तगत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

पक्षकारान :-

1. प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल
2. गैर सायल बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

--:निर्णय:--

दिनांक 28.05.2024

1. सायल ने यह इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर सायल से जब्त शुदा 5 घरेलू सिलेण्डर मय गैस को ई.सी. एक्ट के तहत राजसात (Confiscate) करावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को इस्तगासे की प्रति भेजते हुए नोटिस जारी किया गया, गैर सायल बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में एक तरफा बहस सुनी गई।
3. प्रवर्तन अधिकारी, भीनमाल ने अपनी बहस में तर्क दिया कि मेरे बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक जालोर द्वारा दिनांक 09.04.2023 को सुंधामाता जसवंतपुरा पर भवरसिंह पुत्र गिरधारी जाति रावणा राजपूत निवासी राजपुरा सुंधामाता जसवंतपुरा जालोर रुबरु मोतबिरान श्री रमेश कुमार पताराम जाति भील निवासी रुपसी भीनमाल एवं भवरसिंह पुत्र गिरधारी सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी राजपुरा सुंधामाता जसवंतपुरा की मौजूदगी में व्यवसाय स्थल के निरीक्षण/तलाशी के दौरान द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (2) के वर्णित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किलोग्राम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस क्षमता वाले) का व्यवसायिक उपयोग गैस बर्नर के चूल्हों पर विभिन्न खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाना पाया जाने पर फर्म दुकान मालिक/कार्यकर्ता ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत घरेलू गैस सिलेण्डर की द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग घरेलू प्रयोजन हेतु नहीं करके विभिन्न कार्यों (वाणिज्य उपयोग) हेतु अवैध रूप से उपयोग किया गया। अभिग्रहण शुदा सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	सिलेण्डर का एस. आर.कमाम	सरकारी कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर एल पी.जी.का उपदर्शित भार कि.ग्रा.में	खाली सिलेण्डर का भार कि.ग्रा.में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल पी जी कि.ग्रा. में	शुद्धगैस का भार कि.ग्रा.में
1	486709-E	इण्डेन	30	15.8	30	14.2
2	862441-E	इण्डेन	29.9	15.7	29.9	14.2
3	258505-S	इण्डेन	30.8	15.9	17.7	1.8
4	30650-S	इण्डेन	30.3	16.1	30.3	14.2
5	546681-S	BPCL	29.8	15.6	16.4	700gm

अतः मौके पर प्रतिष्ठान/फर्म मालिक व कार्यकर्ता द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ख) एवं (ग) एवं 7(ग) का उल्लंघन करने मेरे द्वारा उक्त वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस आदेश के खण्ड 13 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिग्रहण किया गया है। अभिग्रहण शुदा घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्वगीनामा पर श्री अर्जुन राव पुत्र गणेशमल निवासी कलापुरा चौराहा जसवंतपुरा कार्यकर्ता अम्बिका इण्डेन जसवंतपुरा को सुपुर्व किये गये है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के की धारा 6 ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अभिग्रहण शुदा भरे हुए 5 घरेलू गैस सिलेण्डर को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों की अवहेलना किये जाने से राजसात कराने का श्रम करावे तथा गैस सिलेण्डर मे भरी हुई गैस (जो वाष्पीकृत होने वाला विस्फोटक पदार्थ) का तथा उक्त वर्णित गैस सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण करने का आदेश भी प्रदान करावे।

4. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस्तगासे में वर्णित तथ्यों के अनुसार गैर सायल के पास से 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस अवैध रूप से संग्रहण कर व्यवसायिक उपयोग के कारण जब्त किये गये है। गैर सायल के पास कोई वैद्य लाईसेन्स नहीं था। इस प्रकार फर्म मालिक द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग कर "द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000" के खण्ड 3 (1) (ख) व (ग) का स्पष्ट का स्पष्ट उल्लंघन किया है। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः सायल का यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा जब्त किया गया 5 सिलेण्डर मय गैस को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जब्त शुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। अतः जिला रसद अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त किए गए 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार निस्तारण कर उनसे प्राप्त राशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा करवाने की व्यवस्था कर इस न्यायालय को सूचित करे।


जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


जिला कलेक्टर
जालोर